रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232258
CG-DL-E-30122021-232258

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943
No. 386] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

सं. 44011/6(एस)/2019-स्था. (ख-II).—दिनांक 3 मार्च, 1987 के संकल्प संख्या 27(21)-ईओ/86(सीसी) में लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) का गठन करते हुए,-

(i) दिनांक 10.06.2016 के संकल्प संख्या 44011/2(एस)/2013-स्था.(ख) के पैरा (iii) का अतिक्रमण करते हुए भारत सरकार के दिनांक 3 मार्च, 1987 के संकल्प संख्या 27(21)-ईओ/86(सीसी) के पैरा 7.2 के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाए:

'अर्हता मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों पर भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ दिनांक 10.06.2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए गैर-आंतरिक उम्मीदवारों के रूप में विचार किया जाएगा।'

(ii) भारत सरकार के दिनांक 19 अप्रैल, 2000 के संकल्प संख्या 27(18)ईओ/99(एसीसी) के साथ पठित भारत सरकार के दिनांक 3 मार्च, 1987 के संकल्प संख्या 27(21)-ईओ/86(सीसी) को निम्नवत संशोधित किया जाए:

निम्नलिखित को पैरा 7 के उप पैरा 5 के रूप में जोड़ा जाएगाः

'चयन बैठक को संपन्न करने हेतु गणपूर्ति (कोरम) निम्नवत होगीः

क्र.सं.	**अनुसूची/पद**	**गणपूर्ति**
1.	**अनुसूची क और ख सीपीएसई - अध्यक्ष/सीएमडी/ एमडी की रिक्तियां**	दो सदस्य, जिसमें अध्यक्ष, पीईएसबी और कोई एक सदस्य।
2.	**अनुसूची क सीपीएसई - कार्यात्मक निदेशक की रिक्तियां**	दो सदस्य, जिसमें अध्यक्ष, पीईएसबी और कोई एक सदस्य।
3.	**अनुसूची ख सीपीएसई - कार्यात्मक निदेशक की रिक्तियां**	दो सदस्य - गणपूर्ति को पूरा करने के लिए अध्यक्ष, पीईएसबी का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।
4.	**अनुसूची ग और घ सीपीएसई -अध्यक्ष/सीएमडी/ एमडी/कार्यात्मक निदेशक की रिक्तियां**	दो सदस्य - गणपूर्ति को पूरा करने के लिए अध्यक्ष, पीईएसबी का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।

प्रस्तावित गणपूर्ति निम्नलिखित के अध्यधीन हैः

(क) गणपूर्ति को पूरा करने हेतु, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, किसी अथवा सभी सदस्यों द्वारा वर्चुअल रूप में भागीदारी द्वारा उपस्थिति वैध होगी;

(ख) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपर्युक्त में से कुछ भी गणपूर्ति की आवश्यकता के अतिरिक्त किसी भी चयन बैठक में अध्यक्ष को शामिल होने से अपवर्जित नहीं करेगा।

(ग) न्यूनतम गणपूर्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में, चयन बैठकों का उपयुक्त रूप से पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

(घ) न्यूनतम गणपूर्ति, चयन बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या को सीमित नहीं करती है।

(ङ) चयन बैठक की सूचना, अध्यक्ष एवं सदस्यों को वरीयतः एवं यथासंभव, एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी।

(च) अनुसूची 'ख' सीपीएसई के कार्यकारी निदेशकों के संबंध में चयन बैठकों में की गई सभी सिफारिशें अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णायक अनुमोदन के अध्यधीन होंगी।

(छ) अनुसूची 'ग' एवं 'घ' के संबंध में चयन बैठक (बैठकों) में कोई आम सहमति ना बन पाने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय निर्णायक रहेगा।

iii. दिनांक 01.07.2021 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए चयन बैठकों में बोर्ड के अध्यक्ष एवं/अथवा किसी सदस्य, जैसा भी मामला हो, की अनुपस्थिति के कारण, बोर्ड की कोई भी सिफारिश अमान्य नहीं होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1 खण्ड I में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

आशीष शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th Decembr, 2021

No. 44011/6(S)/2019-Estt.(B-II).—In Resolution No. 27(21)-EO/86(CC) dated 3rd March, 1987 constituting the Public Enterprises Selection Board (PESB),-

(i) In suppression of para (iii) of the Resolution No.44011/2(S)/2013-Estt.(B) dated 10.06.2016, the following may be added below para 7.2 of the GoI Resolution No.27(21)-EO/86(CC) dated 3rd March, 1987:

'Candidates from State Public Sector Enterprises and the private sector subject to fulfilling the eligibility criteria will also be considered as non-internal candidates along with the candidates of other public sector enterprises, for a period of five years with effect from 10.06.2021.'

(ii) The GoI Resolution No.27(21)-EO/86(CC) dated 3rd March, 1987, read with GoI Resolution No.27(18)EO/99(ACC) dated 19th April, 2000 may be amended as under:

The following be added as sub para 5 of para 7:

'The quorum for conducting Selection meeting shall be as under:

S.N.	***Schedule/ Post***	***Quorum***
1.	***Schedule A and B CPSEs - Chairman/ CMD/ MD vacancies***	*Two Members, which will consist of the Chairperson, PESB and any one member.*
2.	***Schedule A CPSEs - Functional Director vacancies***	*Two Members, which will consist of the Chairperson, PESB and any one Member.*
3.	***Schedule B CPSEs - Functional Director vacancies***	*Two Members - It is not mandatory for the Chairperson, PESB to be present to complete the quorum.*
4.	***Schedule C and D CPSEs - Chairman/ CMD/ MD /Functional Director vacancies***	*Two Members - It is not mandatory for the Chairperson, PESB to be present to complete the quorum.*

The quorum proposed is subject to the following:

(a) The attendance to complete the quorum shall be valid in virtual participation by any or all members, if the circumstances so demand;

(b) The above shall not exclude the Chairperson from attending any Selection meeting over and above the quorum requirement as mentioned above;

(c) In the event of minimum quorum not being available, the Selection meetings shall be rescheduled appropriately;

(d) The minimum quorum does not limit the number of Members attending a Selection meeting;

(e) The Selection meeting notices will be intimated to the Chairperson and the Members, preferably and as far as possible, one week in advance;

(f) All recommendations arrived at in the selection meetings ***in respect of Functional Directors in Schedule B CPSEs shall be subject to final approval by the Chairperson;***

(g) In respect of Schedule 'C' and 'D', the decision of the Chairperson shall be final in case no consensus is arrived at in the Selection Meeting(s).'

(iii) No recommendation of the Board shall be invalid due to the absence of the Chairperson and/ or any Member of the Board in the Selection Meetings as the case may be, for the period from 01.07.2021 till 31.12.2022.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary, Part I Section I. Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/ Departments of the Government of India, State Governments/ Administration of Union Territories, Public Sector Undertakings and all other concerned.

ASHEESH SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.12.30 19:53:19 +05'30'